उत्तराखण्ड शासन
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1
संख्या– /XII/92(5)/2007/2010,
देहरादूनः दिनांकः 03 मार्च,2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1110/विधायी एवं संसदीय कार्य /2007 दिनांक 16 जुलाई, 2007 को जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 जारी कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार जिला योजना समिति नियमावली 2010 में मंत्रिमण्डल की उप समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर उक्त अधिनियम, 2007 के प्राविधानों के अनुसार जिला योजना समिति के गठन करने एवं उसके सफल सचालन हेतु जिला योजना समिति नियमावली, 2010 जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–161 (1)/XII/92(5)/2007/2010,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय एवं लीथोप्रेस रूडकी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया संलग्न जिला योजना समिति नियमावली,2010 की अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ असाधारण गजट के प्रकाशित कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–161 (2)/XII/92(5)/2007/2010,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2– राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
3– प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त, कुमायू/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7– निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड।
8– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी , उत्तराखण्ड ।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अनु सचिव

Raju go-2 24-2010

उत्तराखण्ड शासन
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1
संख्या–   /XII/92(5)/2007/2010,
देहरादूनः दिनांकः 03 मार्च,2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1110/विधायी एवं संसदीय कार्य /2007 दिनांक 16 जुलाई, 2007 को जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 जारी कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं। इस प्रकार जिला योजना समिति नियमावली 2010 में मंत्रिमण्डल की उप समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर उक्त अधिनियम, 2007 के प्राविधानों के अनुसार जिला योजना समिति के गठन करने एवं उसके सफल सचालन हेतु जिला योजना समिति नियमावली, 2010 जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–161 (1)/XII/92(5)/2007/2010,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय एवं लीथोप्रेस रूडकी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया संलग्न जिला योजना समिति नियमावली,2010 की अधिसूचना की 1000 प्रतियॉ असाधारण गजट के प्रकाशित कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–161 (2)/XII/92(5)/2007/2010,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2– राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
3– प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त, कुमायू/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7– निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड।
8– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी , उत्तराखण्ड ।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चिन्तामणि
अनु सचिव

Raju go-2 24-2010

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग
संख्या 160/XII/2010/92(05)/2007
देहरादून: दिनांक 03 मार्च 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम,2007 (अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2007) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 है।
(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. इस नियमावली, में जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,–
(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;
(ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति अभिप्रेत है;
(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
(घ) "नगर निकाय" से यथा स्थिति उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन गठित कोई नगर निगम,नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत अभिप्रेत है ;
(ङ.) "निर्वाचन" से किसी जिला योजना समिति के यथास्थिति निर्वाचन होने वाले सदस्य पद के लिये निर्वाचन अभिप्रेत है;
(च) "सदस्य" से अधिनियम में निर्दिष्ट जिला

योजना समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "प्रपत्र" से इस नियमावली की अनुसूची में दिये गये प्रपत्र अभिप्रेत है ;

(ज) "मतपत्र" से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मतपत्र अभिप्रेत है ;

(झ) "जिलाधिकारी" से उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1951 (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त, अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "जिला मजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा, 20 में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ट) "मुख्य विकास अधिकारी" से जिले में नियुक्त मुख्य विकास अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) "जिला निर्वाचन अधिकारी" से किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग समय-समय पर समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त करे ;

(ड) "रिटर्निगं आफीसर" से जिला योजना समिति के किसी निर्वाचन के निमित्त समय-समय पर नियुक्त रिटर्निंग आफीसर अभिप्रेत है;

(ढ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है ;

जिला योजना समिति का गठन 3. (1) प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा, जो जिलें में पंचायतों तथा नगर निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करेगी तथा सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी ।

(2) विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय समिति निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी :-

(क) पंचायतों तथा नगर निकायों के विषय, जिसके अन्तर्गत स्थानीय योजना जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवस्थापना का एकीकृत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल होगा ;

(ख) विकास की योजना का प्रारूप तैयार करने में समिति पर्यावरण संरक्षण एवं विकास तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय; तथा

(ग) वित्तीय तथा अन्य संसाधन जो तात्कालिक रूप से उपलब्ध है अथवा उपलब्ध हो सकते है।

(3) विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में समिति ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श कर सकेगी, जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

जिला योजना समिति की संरचना 4

(1) प्रत्येक जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी निर्धारित की जाय ;

परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 40 होगी ।

(2) राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलें में समिति की सदस्यों की संख्या 15 होगी और अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों में यह संख्या 40 होगी ।

(3) उपनियम (2) में उल्लिखित अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के मध्यवर्ती जनसंख्या के जनपदों में समिति के सदस्यों का निर्धारण उपनियम (4) में उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(4) (क) अधिकतम जनसंख्या वाले जिलें की जनसंख्या में से न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलें की जनसंख्या को घटाकर प्राप्त शेष में अधिकतम तथा न्यूनतम विहित सदस्य संख्या के अंतर का भाग दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त लब्धि वह जनसंख्या होगी, जिस पर समिति का एक सदस्य होगा।

(ख) जिलें की सदस्य संख्या के निर्धारण के लिए उस जिलें की जनसंख्या में से न्यूनतम जनसंख्या के जनपद की जनसंख्या को घटाया जायेगा। प्राप्त शेष को उपरोक्त खण्ड (क) में प्राप्त संख्या से विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त लब्धि को न्यूनतम जनसंख्या के जिलें की सदस्य संख्या

अर्थात 15 में जोड़ दिया जायेगा। यह संख्या जिले की समिति की सदस्य संख्या होगी।

(ग) भाग देने की दशा में यदि शेष भाजक के आधे या उससे अधिक हो, तो उसे अगला पूर्णांक मान लिया जायेगा और यदि अवशेष भाजक से आधे से कम हो उसे छोड़ दिया जायेगा ।

(5) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 4/5 से अन्यून सदस्य जिला पंचायत और जिले की नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जायेंगे ।

(6) जिला पंचायत के सदस्यों तथा नगर निकायों के सदस्यों में से चुने गये समिति के सदस्यों का कुल

निर्वाचित सदस्यों के साथ वही अनुपात होगा जो यथास्थिति जिले की ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले की नगरीय जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है।

(7) समिति के शेष अधिकतम 1/5 सदस्य निम्नलिखित होगेः–

(1)(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा :–

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत ।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट–पदेन

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करेगी कि इस उपनियम के अन्तर्गत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के 1/5 से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्य निम्नांकित कम में नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे :–

(क) अनुसूचित जनजाति का कोई और गैर सरकारी सदस्य जो ग्रामीण अथवा नगरीय नियोजन में शिक्षित हो अथवा जिसे न्यूनतम 10 वर्ष का ऐसे नियोजन का अनुभव हो।

(ख) अनुसूचित जाति का ऐसा और सरकारी सदस्य जो ग्रामीण अथवा नगरीय नियोजन में शिक्षित हो अथवा जिसे न्यूनतम 10 वर्ष का ऐसे नियोजन का अनुभद हो।

(ग) ग्रामीण अथवा नगरीय नियोजन में 10 वर्ष तक की अनुभव की धारक महिला ।

(घ) ग्रामीण नियोजन का कोई विशेषज्ञ ।

(ड.) नगरीय नियोजन का कोई विशेषज्ञ ।

(3) खण्ड (1)(घ) के अन्तर्गत नामित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(8) यदि समिति का कोई सदस्य यथास्थिति जिला पंचायत अथवा नगर पालिका का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य भी नही रहेगा।

(9)–समिति के किसी सदस्य का पद उसके निधन,त्याग पत्र, अथवा अन्य कारणों से यदि रिक्त होता है,तोऐसी रिक्ति के लिए निर्वाचन विहित रीति से किया जायेगा और ऐसे निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल शेष पदावधि के लिए होगा।

(10) समिति का कोई सदस्य वैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकेगा।

समिति के स्थायी आमंत्रित:– 5. (1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की वैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(2) राज्य सभा के सदस्य जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(3) राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्य जो राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(4) ऐसी नगर पालिकाओं का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हों,यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष,समिति के स्थायी आमंत्रित होंगे।

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा;

परन्तु यह कि जहॉ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार की मंत्रि–परिषद का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहॉ वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा;

परन्तु यह और कि जहॉ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार की मंत्रि–परिषद का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो, वहॉ वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

परन्तु अग्रत्तर यह कि ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति किसी भी दशा में मतदान में भाग नहीं ले सकेगा।

अध्याय–2
सदस्यों का निर्वाचन

जिला निर्वाचन अधिकारी

6. (1) जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे ।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अधीक्षण,निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन के संचालनो से सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग / सहायक रिटर्निंग आफिसरः-	7.	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन हेतु अपनी सहायता के लिये एक या उससे अधिक अधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। (2) जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन को संचालित करने के लिये रिटर्निंग ऑफीसर होगा तथा आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त कर सकेगा । (3) रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर कृत्यों का सम्पादन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन हों।
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण	8.	(1) जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । (2) निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या एक समान हो; किन्तु इस निमित जिला पंचायत सदस्य के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जायेगा । (3) नगर क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्ति समान हो ; किन्तु इस निमित्त नगर निकायों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही किसी नगर क्षेत्र को विभाजित किया जायेगा । (4) पर्याप्त कारण होने पर राज्य सरकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निधारण कर सकेगी ।
निर्वाचक नामावली	9.	(1) राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावलियॉ तैयार करेगा। (2) नामावली देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जायेगी।
नाम निर्देशन आदि के लिए दिनांको का निश्चित किया जाना	10.	(1) जिला योजना समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन यथास्थिति जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन तथा नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त उन रिक्तियों के

लिए कराया जायेगा, जो ऐसे पूर्ववर्ती निकाय के कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त हो गई हों किन्तु अन्यथा हुई रिक्तयों के लिए निर्वाचन रिक्ति के 6 माह के अंदर कराया जायेगा ।

(2) जब अधिनियम के अधीन जिला योजना समिति के सदस्य के पद के लिये निर्वाचन कराना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में निर्देश देगा:-

(क) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उनकी जॉच करने के लिए तारीख जो अधिसूचना की तारीख से कम से कम 7 दिन के पश्चात का तारीख होगा।

(ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की तारीख जो सामान्यतः नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जॉच के लिए निर्धारित तारीख का अगला दिन होगा।

(ग) वह तारीख जिसके दौरान यदि मतदान आवश्यक हो, कराया जायेगा सामान्यतया नाम वापस होने की तारीख का अगला दिन होगा ।

(घ) मतगणना की तारीख मतदान की तारीख होगी।

(3) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना देवनागिरी लिपि में अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा तथा जिला पंचायत मुख्यालय, तथा जिले के अन्तर्गत आने वाले नगर पंचायत, नगर पालिका एंव नगर निगम तथा ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शन हेतु उसकी प्रति भिजवायेगा।

सदस्यों की सूची का प्रकाशन 11 (1) नियम 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफीसर नियम 10 के उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार निर्वाचक नामावली जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और जिला पंचायत के मुख्यालय में प्रदशित करेगा तथा सभी नगरीय स्थानीय निकायों के मुख्यालयों में प्रदर्शन हेतु भेजेगा ।

(2) रिटर्निंग आफीसर नियम 10 के उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार सूची सभी मतदाताओं को भेजेगा ।

नाम निर्देशनः–

12. (1) कोई व्यक्ति, जो जिला योजना समिति के सदस्य पद के लिये होने वाले निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र में यथाविधि भरा हुआ नाम निर्देशन पत्र तारीख, समय और स्थान सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र पर नाम निर्देशन के लिये सहमति देने के प्रतीक स्वरूप स्वयं हस्ताक्षर करेगा और प्रस्तावक, तथा अनुमोदक के रूप में अलग–अलग सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया

13. (1) निर्वाचन अधिकारी, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर उस पर क्रमांक, तारीख एवं समय अंकित करेगा तथा यथासमय नाम निर्देशन की एक ऐसी सूचना अपने कार्यालय के किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा देगा।

नाम निर्देशन पत्रों की जॉच

14. (1) नाम निर्देशन पत्रों की जॉच के समय उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक उपस्थित हो सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी, उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों का निरीक्षण करने के लिये सभी युक्ति–युक्त सुविधाए प्रदान करेगा। यदि उचित समझे तो नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत कर सकता है। पद के लिये उम्मीदवार, प्रस्तावक एवं अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे धोखे से प्राप्त किया गया है या उम्मीदवार जिला पंचायत अथवा जिले के सम्बन्धित नगर निकाय का विधितः निर्वाचित सदस्य नहीं है।

उम्मीदवारी से नाम वापस लेना एवं निर्विरोध निर्वाचन

15. (1) कोई उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है लेकिन शर्त यह है कि वह स्वयं निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से निर्धारित तारीख एवं समय पर उपस्थित हो।

(2) जहॉ उम्मीदवारी के नाम वापसी होने के उपरान्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी

यह देखें कि केवल एक ही चुनाव लड़ने वाला, उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसको निर्वाचित घोषित कर देगा, और निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा।

वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची और उनका प्रकाशन

16. 1. उम्मीदवार के नामों की वापसी यदि कोई हो, के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले दो या अधिक उम्मीदवार हों, तो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायेगा।

2. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वालों के नाम देवनागरी वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ दिये जायेंगे।

मतदान की रीति

17. (1) निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधित्व मतदान द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

मतदान का स्थान एवं समय

18. (1) मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर होगा ;

परन्तु यह कि यदि मतदाता निरक्षरता अथवा अन्य कारण से स्वयं मत देने में अशक्त हो तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अशक्तता के पुष्ट प्रमाण होने की दशा में सहायक दिया जा सकेगा, किन्तु एक ही व्यक्ति एकाधिक मतदाताओं के लिए सहायक नहीं बन सकेगा।

निर्वाचन सामग्री

19. (1) राज्य निर्वाचन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन/उपनिर्वाचन में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु मतदान में उपयोग की जाने वाली सामग्री, लेखन सामग्री (स्टेशनरी) निर्धारित करेगा और निर्वाचन हेतु आपूर्ति व्यवस्थित करेगा।

मतपत्र तथा मतपेटी

20. 1 निर्वाचन में उपयोग किये जाने वाले मतपत्र का आकार और उसमें प्रयुक्त प्रपत्र राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित करेगा और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम देवनागिरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में हों। मतदान में उपयोग की जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करे ।

मतगणना की प्रक्रिया

21\. (1) मतदान समाप्त होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उपस्थित सदस्यों के समक्ष मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा। मतों को निकालकर मतपत्रों को गिनेगा, उनका विवरण तैयार करेगा, मतपत्रों की जॉच करते हुए ऐसे मतपत्रों को जो प्रथम दृष्टया वैध/अवैध हों, को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दोनों को अलग– अलग रखेगा और यह निर्धारित करेगा कि किस उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कुल मत पत्र जो अस्वीकृत किये गये हों, उनको अलग–अलग लिफाफों में सुरक्षित करेगा।

परिणाम की घोषणा

22\. मतगणना समाप्त हो जाने और मतदान परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उपस्थित लोगों के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा और राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा।

निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा

23\. निर्वाचन संबंधी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

समिति के कृत्य

24\. समिति धारा 9 के खण्ड (त) के अन्तर्गत ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी,जो समय–समय पर,राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायेंगे ।

अध्याय–तीन
जिला योजना समिति का कार्य क्षेत्र तथा बैठकें:–

जिला योजना की अधिकतम सीमा

25\. (1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगायगी और उनका प्राक्कलन

करेगी तथा तद्नुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।

(2) उपधारा(1) के अधीन नियत की गयी जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।

(3) पंचायतों और नगर निकायों द्वारा योजना निर्माण की प्रकिया में वार्षिक योजना निर्माण के पूर्व यथा ग्राम पंचायतें क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें तथा नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम अपने विभन्न विषयों पर संदर्भ/प्रस्ताव जिला योजना समिति को प्रस्तुत करेंगे;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पंचायतें तथा नगर निकाय अपनी समितियों से प्रस्ताव तैयार करवाकर स्वीकृति प्रदान कर जिला योजना समिति को सीधे प्रस्तुत करेंगे।

(4) पंचायतें तथा नगर निकाय ऐसे स्वीकृत संदर्भ एवं प्रस्ताव जिला योजना समिति के समक्ष माह मई तक प्रस्तुत कर देंगें।

जिला योजना को अंतिम रूप दिया जाना

26. समिति जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी।

अध्याय–4
बैठकें

कार्य सूची

27. (क) अंतिम बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि;

(ख) बैठक के दौरान पटल पर पत्र आदि की सूचना के लिए रखा जाना;

(ग) जिला योजना समिति द्वारा कोई निर्वाचन;

(घ) सरकार या उसके किसी अधिकारी से प्राप्त पत्रों पर विचार करना;

(ड़) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गयी सूचना, को, यदि कोई हो, तो पढ़ा जाना;

(च) कार्यक्रम के परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव;
(छ) शासकीय कार्य से सम्बद्ध विषय;
(ज) उप समितियों की कार्यवाहियॉ;
(झ) प्रश्न;
(ञ) ऐसे अशासकीय संकल्प जिनकी सूचना सदस्यों से प्राप्त हुई हो और बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित हो।
(ट) अन्य शासकीय कार्य;

बैठकों का दिनांक, समय और स्थान

28. 1. जिला योजना समिति की बैठक यथा व्यवस्थित रूप से बुलाई जा सकती है;

परन्तु यह कि बैठक प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार जिला मुख्यालय पर होगी, जिसके लिये तारीख और समय अध्यक्ष, द्वारा नियत किया जाएगा ।

2. प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सचिव, जिला योजना समिति द्वारा प्रत्येक सदस्य को प्रेषण प्रमाण पत्र के अधीन उसके अन्तिम ज्ञात पते पर, बैठक के दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजी जायेगी या भिजवाई जायेगी;

परन्तु यह कि आपात बैठक के लिए 10 दिन से कम अवधि की सूचना दी जा सकती है।

गणपूर्ति

29. (1) जिला योजना समिति की बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नही किया जायेगा,जब तक तत्समय् कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/2 सदस्य उपस्थित न हों।

(2)–यदि कोई बैठक, गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित कर दी जाय, तो स्थगित बैठक के लिये कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

बैठक का अध्यक्ष,

30. (1) बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष होंगे या उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस निमित्त चयन किये गये किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ।

बैठक की सूचना

31. (1) जिला योजना समिति की बैठक में निर्वाचित सदस्यों के साथ–साथ 1/5 सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, के अलावा स्थायी आमंत्रित सदस्यों को उपस्थित होने हेतु उनके स्थायी पते पर सूचना भेजी जायेगी और उनके स्तर से संकल्प भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2)– बैठक में भाग लेने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित नियुक्त समस्त अधिकारी भी अपेक्षित होने पर उपस्थित होंगे।

व्यवस्था बनाये रखने का अधिकार

32. (1) यदि जिला योजना समिति की किसी बैठक में कोई सदस्य या व्यक्ति अध्यक्ष के किसी ऐसे निर्देश का अनुपालन करने से इन्कार करता है, जिसमें किसी कार्य, चर्चा या विषय को नियम बाह्य करने या अन्यथा सदस्यों के आचरण या किसी के संचालन को नियमित करने की व्यवस्था की गयी हो या यदि कोई सदस्य अथवा व्यक्ति बैठक में जानबूझकर बाधा डालता है, तो अध्यक्ष उस सदस्य से बैठक से चले जाने की अपेक्षा कर सकता है और अनुपालन न करने की दशा में हटाने या अपवर्जित करने की कार्यवाही कर सकता है।

अध्यक्ष के कर्तव्य

33. (1) जिला योजना समिति तथा उसकी उप समितियों की जो तदर्थ नियत की जांय, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे।

(2)– जिला योजना समिति की सभी बैठकों में कार्य के सम्पादन को तदर्थ बनाये गये किसी भी नियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करें।

(क) जिला योजना समिति के वित्तीय कार्यक्रमों पर दृष्टि रखे तथा नियंत्रण और अधीक्षण में यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करें।

(ख) किन्हीं ऐसे कार्यों का सम्पादन करे, जिसका दायित्व अधिनियम अथवा इस नियमावली द्वारा उसे सौंपा गया हो।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति

34 (1) समिति किसी विभाग, विषय, योजना, स्कीम, परियोजना में किसी समाधान हेतु जिला स्तरीय अधिकारी, जो समिति के नियंत्रणाधीन है, को तकनीकी प्रकोष्ठ तैयार कर जॉच/निरीक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दे सकती है।

(2) कार्यदल (टास्क फोर्स) तकनीकी प्रकोष्ठ का यह दायित्व होगा कि वह समिति द्वारा निर्धारित किये गये समय में अपनी रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

अध्याय–5
निर्वचन

निर्वचन

35 इस नियमावली के उपबन्धों के कार्यान्वयन में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है,तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
सचिव